



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012022-233000  
CG-DL-E-31012022-233000

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 385]  
No. 385]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 31, 2022/माघ 11, 1943  
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 31, 2022/MAGHA 11, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)  
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)  
अधिसूचना  
नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2022  
सं. 52 / 2015—2020

**विषय :** सिरिजों की निर्यात नीति में संशोधन।

**का.आ. 400(अ).**—विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा सिरिजों के निर्यात से संबंधित आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018 की अनुसूची-2 के अध्याय 90 से संबंधित अधिसूचना संख्या 38 / 2015–20 दिनांक 14 अक्टूबर, 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है:

क्रम संख्या	आईटीसी एचएस कोड	संशोधित विवरण	वर्तमान निर्यात नीति	संशोधित निर्यात नीति
207एडी	90183100	निम्नलिखित माप की सूई सहित अथवा सूई रहित सिरिज – 0.5 एमएल/1 एमएल एडी सिरिज। – 0.5 एमएल/1 एमएल/2 एमएल/3 एमएल डिस्पोसेबल सिरिज। – 1 एमएल/2 एमएल/3 एमएल आरयूपी सिरिज।	प्रतिबंधित	मुक्त

**2. इस अधिसूचना का प्रभाव:**

उपर्युक्त यथा उल्लिखित एचएस कोड के तहत अथवा किसी अन्य एचएस कोड के तहत आने वाली सभी प्रकार की सिरिंजों की निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से 'मुक्त' कर दिया गया है।

[फा. सं. 01/91/180/005/एम22/ईसी/ई-29234]

संतोष कुमार सांरगी, महानिदेशक विदेश व्यापार  
एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**  
**(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st January, 2022

**No. 52/2015-2020**

**Subject: Amendment in Export Policy of Syringes.**

**S.O. 400(E).**—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby makes following amendment to the Notification No. 38/2015-2020 dated 14<sup>th</sup> October, 2021 pertaining to Chapter - 90 of Schedule - 2 of ITC (HS) Export Policy, 2018 related to export of Syringes:

S.No	ITC HS Code	Revised Description	Current Export Policy	Revised Export Policy
207AD	90183100	Syringes with or without Needles of the following denominations : - 0.5 ml/ 1ml AD syringes. - 0.5 ml/1 ml/2 ml/3 ml disposable syringes. - 1ml/2 ml/3 ml RUP Syringes.	Restricted	<b>Free</b>

**2. Effect of this Notification:**

**The export policy of all kinds of syringes falling under HS code as mentioned above or falling under any other HS code has been made 'Free' with immediate effect.**

[F. No. 01/91/180/005/AM22/EC/E-29234]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade  
& Ex-Officio Addl. Secy.